



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27072024-255817
CG-DL-E-27072024-255817

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2844]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 26, 2024/श्रावण 4, 1946

No. 2844]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 26, 2024/SHRAVANA 4, 1946

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2024

का.आ. 2985(अ).— जबकि केन्द्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक हित में यह आवश्यक है कि पारादीप (ओडिशा) से सिलीगुडी (पश्चिम बंगाल) होते हुए नुमालीगढ़ (असम) तक नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के पारादीप-नुमालीगढ़ कच्चे तेल पाइपलाइन परियोजना के तहत कच्चे तेल के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाई जाए, जिसका कुछ हिस्सा असम राज्य में आ रहा है; और

जबकि केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिस के भीतर उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उसका उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाने की जरूरत है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइंस (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का नं. 50) की धारा 3 कि उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करता है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाने के 21 (इक्कीस) दिन के अन्दर, भूमि के भीतर पाइपलाइन बिछाये जाने हेतु उपयोग के अधिकार के अर्जन के विरुद्ध अपनी लिखित रूप में शिकायत, असम राज्य में नुमालीगढ़रि फ़ाइनरी लिमिटेड के पूर्व उल्लेखित परियोजना के सक्षम अधिकारी, श्री सज्जाद आलम, असम सरकार के संयुक्त सचिव, उद्योग और वाणिज्य विभाग, को नुमालीगढ़ रिफ़ाइनरी लिमिटेड के परियोजना कार्यालय, 122A, क्रिस्चियन बस्ती, जी.एस. रोड, गुवाहाटी- 781005, असम में भेज सकते हैं।

अनुसूची

जिला	सर्कल	मौज़ा	गाँव	दाग नं	क्षेत्रफल		
					हेक्टेअर	आर	वर्ग मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
सोनितपुर	चारिदुआर	गरैमारी	दिक्रईजान	342	00	09	14
सोनितपुर	चारिदुआर	गरैमारी	करोकनि	54	00	05	39
				4	00	06	69
				131	00	03	32
				130	00	05	52
				5	00	06	92
				9	00	03	83
				8	00	02	63
सोनितपुर	ना-दुआर	चिलाबंधा	गोटाईमारा	42	00	06	64
				41	00	05	05
				40	00	03	67
				30	00	01	90
				43	00	01	90
				24	00	17	53

[फा. सं. आर-11025(14)/2020-ओआर-I-भाग(1)/ई-48803]

शशि शेखर सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 2024

S.O. 2985(E).— Whereas it appears to the Central Government that in the public interest it is necessary that for transportation of crude oil through the Paradip – Numaligarh crude oil pipeline project of Numaligarh Refinery Limited from Paradip (Odisha) to Numaligarh (Assam) via Siliguri (West Bengal), a pipeline must be laid, part of which would fall in the State of Assam; and

Whereas it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the Right of User (RoU) in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed hereto;

Therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (Act No. 50 of 1962), the Government of India hereby declares its intention to acquire the Right of User (RoU) therein.

Any person interested in the land described in the said schedule may, within 21 (twenty-one) days from the date on which copies of the Gazette of India containing this Notification are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the Right of User (RoU) therein for laying of the pipeline under the land, to the Competent Authority (Assam) of the aforementioned project under Numaligarh Refinery Limited, Shri Sazzad Alam, ACS, Joint Secretary to the Government of Assam, Industries & Commerce Department, at the Project Office of Numaligarh Refinery Limited, 122A, Christian Basti, G.S. Road, Guwahati - 781005, Assam.

SCHEDULE

District	Circle	Mouza	Name of Village	Dag No.	Area		
					Hectare	Are	Square Meter
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Sonitpur	Chariduar	Gourmari	Dikrai Jan	342	00	09	14
Sonitpur	Chariduar	Gourmari	Karokani	54	00	05	39
				4	00	06	69
				131	00	03	32
				130	00	05	52
				5	00	06	92
				9	00	03	83
				8	00	02	63
Sonitpur	Na-Duar	Chilabandha	Gotaimara	42	00	06	64
				41	00	05	05
				40	00	03	67
				30	00	01	90
				43	00	01	90
				24	00	17	53

[F. No. R-11025(14)/2020-OR-I-Part(1)/E-48803]

SHASHI SHEKHAR SINGH, Under Secy.